# HARYANA VIDHAN SABHA <br> Bill No. 25- HLA OF 2022 <br> THE HARYANA SHREE MATA BHIMESHWARI DEVI MANDIR (ASHRAM), BERI SHRINE BILL, 2022 

A
BILL
to provide for the better management, administration and governance to Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri and its endowments including the lands and buildings attached or appurtenant to the Shrine.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine Act, 2022.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

Short title and commencement.

Definitions.
(a) "Board" means Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine Board constituted under section 4 of this Act;
(b) "endowment" means all property, movable or immovable, belonging to or given or endowed for the maintenance, improvement, additions to, or worship in the Shrine or for the performance of any service or charity, connected therewith and includes the idols installed therein, the premises of the Shrine and gifts of property made to anyone within the precincts of the Shrine and lands and buildings attached, or appurtenant thereto;
(c) "Government" means the Government of the State of Haryana;
(d) "math" means a math as understood under Hindu law;
(e) "member" means member of the Board constituted under section 4 and includes a member-secretary, Vice-Chairman and Chairman professing Hindu religion, in case Chairman, Vice-Chairman and member-secretary happens to be non-Hindu, the Government may appoint another member in his place professing Hindu religion;
(f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
(g) "Pujari" means pujari and includes pandits and purohits or such other person who perform or conducts puja or other rituals;
(h) "Shrine" means the Shrine of Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri and all temples, math and idols within the premises of

Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine and endowments attached thereto, established with a religious object for a public purpose and includes,-
(i) all properties movable or immovable belonging to or given or endowed for worship in, maintenance or improvement of addition to, temple, for the performance of any service or charity connected therewith; and
(ii) the idols installed in the temple, clothes, ornaments and things for decoration etc.
(i) "Shrine fund" means and includes all sums received by or on behalf of, or for the time being held for the benefit of the Shrine, and also includes all the endowments which have been or may hereafter be made for the benefit of the Shrine or any other deity thereof in the name of any person, or for the convenience, comfort or benefit of the pilgrims thereto, as well as all offerings made to any of the deities comprised in the Shrine;
(j) "temple" means a place, by whatever designation known used as a place of public religious worship, and dedicated to, or for the benefit of, or used as of right by, the Hindu community or any section thereof as a place of public religious worship.

Vesting of Shrine fund.

Constitution of Board.
3. The ownership of the Shrine and Shrine fund, from the commencement of this Act, shall vest in the Board and the Board shall be entitled to its possession, administration and use for the purposes of this Act.
4. (1) The administration, management and governance of the Shrine shall vest in a Board consisting of a Chairman, Vice-Chairman and not more than eleven members. The composition of the Board shall be as follows:-
(a) Chief Minister, Haryana, shall be the Chairman;
(b) Minister-in-Charge, Urban Local Bodies Department, Haryana, shall be Vice-Chairman;
(c) Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, whether designated as Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, as the case may be, shall be the ex-officio member;
(d) Deputy Commissioner, Jhajjar, shall be the ex-officio membersecretary;
(e) Seven persons to be nominated by the Government, as members, in the following manner:-
(i) two persons, who in the opinion of the Government, have distinguished themselves in the service of Hindu religion or culture;
(ii) two women, who in the opinion of the Government, have distinguished themselves in the service of Hindu religion, culture or social work, especially in regard to advancement of women;
(iii) two persons, who in the opinion of the Government, have distinguished themselves in administration, legal affairs or financial matters;
(iv) one eminent Hindu of the State of Haryana.
(2) A person shall not be eligible for being nominated as a member, or for being a member of the Board, if he suffers or incurs any of the disqualification as specified in section 8 of this Act.
5. The Shrine fund shall be applied for -

Defraying of Shrine fund.
(a) defraying expenses for the proper maintenance of the temple, performance of puja and other rituals;
(b) providing amenities, facilities to the visiting devotees;
(c) establishment and maintenance of the educational institutions;
(d) training of vidyarthies; and
(e) securing the health, safety and convenience of disciples, pilgrims and worshippers visiting the Shrine.
6. The Board shall be a body corporate and shall have perpetual succession Incorporation of and a common seal and may by the said name sue and be sued.
7. A nominated member of the Board shall hold office during the pleasure of the Government:

Terms of office of nominated member.

Provided that his term of office shall not exceed three years from the date of his nomination under section 4 .
8. A person shall be disqualified for being nominated as a member of the Board, if he,-

Disqualifications for membership of Board.
(a) is not a Hindu;
(b) is of unsound mind and stand so declared by a competent court or if he is a deaf, dumb or is suffering from contagious leprosy or any virulent contagious disease;
(c) is an undischarged insolvent;
(d) is appearing as a legal practitioner against the Board;
(e) is sentenced by criminal court for an offence involving moral turpitude, such sentence not having been reversed;
(f) is an office holder or servant attached to the Board;
(g) has been guilty of corruption or misconduct in the administration of the Shrine;

Dissolution and supersession of
(h) is addicted to intoxicating liquors or drugs; and
(i) in the opinion of the Government has acted against the interest of the Shrine.

Board.

Filling up of vacancies

Resignation.

Office and meetings of Board.
9. (1) If in the opinion of the Government, the Board is not competent to perform, or persistently makes default in performing the duties imposed on it under this Act or exceeds or abuses its powers, the Government may, after due enquiry and after giving the Board a reasonable opportunity of being heard, by order, dissolve or supersede the Board and reconstitute another Board in accordance with the Act.
(2) Where a Board is dissolved or superseded under this section, the Government shall assume all the powers and perform all the functions and exercise all the powers of the Board for a period not exceeding three months or until the constitution of another Board, whichever is earlier.
10. (1) Casual vacancy of a member shall be filled in the same manner as provided in section 4.
(2) The term of a member nominated to fill a casual vacancy shall expire on the day on which the term of the member in whose vacancy the nomination has been made would have expired.
(3) Nothing done by the Board shall be invalid only by the reason of there being a casual vacancy.
11. Any nominated member may resign from his office as member by giving notice in writing to the Chairman and his office shall become vacant from the date of acceptance of his resignation by the Government.
12. (1) The Board shall maintain its office at such place, as it may decide.
(2) In every meeting of the Board, the Chairman or in his absence, Vice Chairman shall preside.
(3) No business shall be transacted at any meeting unless at least five members are present.
(4) Every decision of the Board shall, except as expressly provided by this Act, be by a majority of votes, and in case of equality of votes, the person presiding shall have a second or casting vote.

Appointment of officers and officials of Board.
13. (1) For the efficient discharge of the duties assigned to it under this Act, the Board may appoint such other officers and officials as it considers necessary with such designations, pay, allowances and other remunerations and perquisites as the Board, may determine, from time to time:

Provided that Sub Divisional Officer (Civil), Beri and Secretary, Municipal Committee, Beri shall be the Chief Executive Officer and the Executive Officer respectively of the Board.
(2) The Chairman of the Board, subject to any rules made under this Act, shall have the power to transfer, suspend, remove or dismiss any officer or official
of the Board for the breach of discipline, carelessness, unfitness, neglect of duty or misconduct or for any other sufficient cause:

Provided that where the officer or the official is a Government officer or official, he may be reverted to his parent cadre or department in the Government.
(3) The terms and conditions of service of officers or officials of the Board shall be such, as may be prescribed.
14. The members, officers and officials of the Board shall, while acting or Public servant. purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or any rules made there under be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).
15. Every member of the Board shall be liable for the loss, waste or misapplication Liability of of the Shrine fund if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of member. his willful act or omission while acting as member and a suit for compensation may be instituted against him by the Board.
16. Both moveable and immovable properties including jewellery, ornaments which have once been adorned on the idols or other valuable property of nonperishable nature forming part of the Shrine fund shall be transferred, exchanged, sold or disposed of with the previous sanction of the Government on the recommendations of the Board.
17. No money shall be borrowed or lent except by a resolution of the Board and Power to borrow the approval of the Government.

Alienation of movable and immovable property.
18. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, it shall Duties of Board. be the duty of the Board,-
(i) to arrange for the proper performance of worship at the Shrine;
(ii) to provide facilities for the proper performance of worship by the pilgrims;
(iii) to make arrangements for the safe custody and preservation of the Shrine fund, valuable security and jewellery;
(iv) to undertake for the benefit of worshippers and pilgrims-
(a) the construction of buildings for their accommodation;
(b) the construction of sanitary work; and
(c) the improvement of means of communication;
(v) to undertake the developmental activities concerning the area of the Shrine and its surroundings;
(vi) to make suitable arrangements for the imparting of religious instructions and general education;
(vii) to make provision of medical relief for worshippers and pilgrims;
(viii) to make provision for the payment of suitable emoluments to the salaried staff;

Rights of Pujari
and terms and conditions of existing employees and other persons.

Appointment, tenure and others terms and conditions of Pujari.
(ix) to do all such things as may be incidental and conducive to the efficient management, maintenance and administration of the Shrine and the Shrine fund and the convenience of the pilgrims.
19. (1) All the rights of Pujari shall stand extinguished from the date of commencement of this Act:

Provided that the Government may appoint a Tribunal consisting of one or more persons in such manner, as may be prescribed, which, after giving personal hearing to the Pujari and the representatives of the Board, shall recommend compensation to be paid by the Board, in lieu of extinction of his rights. While making its recommendations to the Board, the Tribunal shall have due regard to the income which the Pujari had been deriving:

Provided further that where a Pujari surrenders his right to compensation and offers himself for employment to the Board, the Board shall cause his suitability for such employment to be adjudged and may offer him employment in case he is found suitable by the selection committee to be appointed for the purpose subject to the Pujari giving an undertaking to abide by the administrative and disciplinary control of the Board in accordance with the rules made under this Act.
(2) All such employees of the Shrine as are engaged on any function connected with the Shrine shall, unless they exercise an option to the contrary be deemed to have become the employees of the Board on the commencement of this Act and shall be subject to the administrative and disciplinary control of the Board. Their terms and conditions of service shall be regulated by the rules made under this Act and shall receive such remuneration, which shall, as far as practicable not be inferior than the present level of remuneration and other terms and conditions of their service.
(3) The shopkeepers and other lease holders, who are the tenants of the Shrine in the area referred to in this Act shall become the tenants of the Board.
20. (1) The Board or the officer authorised by it, shall appoint Pujaris of the Shrine and while making such appointment, shall have due regard to the claims of persons belonging to the religious denomination for whose benefit the Shrine is mainly maintained.
(2) A Pujari shall hold office for a term of five years, unless in the meanwhile he is removed or dismissed or his resignation is accepted by the Board or the officer authorised by it or he otherwise ceases to be a Pujari.
(3) A Pujari shall be eligible for re-appointment.
(4) When a permanent vacancy occurs in the office of the Pujari of the Shrine, the Pujari shall be appointed by the Board or by an officer authorised by it.
(5) When temporary vacancy occurs in such an office by reason of the suspension of a Pujari, a Pujari in his place shall be appointed by the Board or the officer authorised by it to discharge the functions of the Pujari until his disability ceases.
21. (1) The Board or the officer authorised by it may suspend, remove or dismiss the Pujari for,-
(a) willful disobedience of any order issued under the provisions of this Act;
(b) any malfeasance, misfeasance, breach of trust or neglect of duty in respect of the Shrine or alienation of any property in contravention of this Act;
(c) any misappropriation of, or improper dealing with, the properties of the Shrine;
(d) having been found under the influence of intoxication liquor or drugs in the Shrine; and
(e) unsoundness of mind or other mental or physical defect or infirmity which renders him unfit for discharging the functions of a Pujari:

Provided that no Pujari shall be removed or dismissed by the Board or the officer authorised by it under this section unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.
(2) A Pujari who is suspended, removed or dismissed by the Board or the officer authorised by it under sub-section (1), may within one month from the date of receipt of the order of suspension, removal or dismissal, prefer an appeal to such authority and in such manner, as may be prescribed.
(3) A Pujari so suspended, removed or dismissed may be allowed such maintenance, as may be fixed by the Board or the officer authorised by it, considering the financial condition of the Shrine.
22. A person shall be disqualified for being appointed as, and for continuing to be, a Pujari, if he,-

Power to suspend, remove or dismiss.
(a) is an un-discharged insolvent;
(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
(c) is interested either directly or indirectly in a subsisting lease or any property of or contract made with, or any work being done for, the Shrine or is in arrears of any dues payable to the Shrine;
(d) is appearing as a legal pratitioner on behalf of or against the Shrine;
(e) has been sentenced by a criminal court for an offence involving moral turpitude, and such sentence has not been reversed;
(f) has acted adversely to the interest of the Shrine;
(g) is an addict to intoxicating liquors or drugs;

Preparation and maintenance of register.
(h) has not completed twenty-one years of age; and
(i) ceases to profess Hindu religion or persuasion or to belong to the religious denominations to which the Shrine pertains.
23. (1) A register shall be prepared and maintained, in such form and manner, as may be prescribed to show,-
(a) the origin and history of the Shrine and particulars as to the custom or usage of the Shrine;
(b) particulars of the scheme of administration and of the scale of expenditure;
(c) the name of all officers and officials to which any salary, emolument of perquisite is attached and the nature, time and conditions of service in each case;
(d) the money, jewelleries, jewels, gold, silver, precious stones, vessels and utensils and other movable belongings to the Shrine, with their weights, details of the constituent elements and estimated value thereof;
(e) particulars of immovable properties and all other endowments of the Shrine and all title deeds and other documents;
(f) particulars of details of constituent elements and colored photographs of the idols and other images in or connected with the Shrine, whether intended for worship or for being carried in processions;
(g) particulars of ancient or historical records with their contents in brief; and
(h) such other particulars, as may be required by the Board.
(2) The register shall be prepared, signed and verified by the Chief Executive Officer or an officer authorised by the Board within three months from the date of the notice served upon him by the member-secretary in this behalf or within such further period as may be allowed by the member-secretary.
(3) The Board may, after such enquiry, as it may consider necessary, recommend and direct the Chief Executive Officer or officer authorised by the Board to carry out such alternations, omissions or additions in the register, as the Board may think fit.
(4) The Chief Executive Officer or officer authorised by the Board shall carry out the directions of the Board and submit the register to the Board for approval within a period of three months from the date of the order.
24. (1) The Chief Executive Officer or any officer authorised by the Board shall scrutinize the entries in the register every year or at such interval of times, as may be prescribed, and submit the same to the Board through the member-secretary for its approval.
(2) The Board may, thereupon, after such inquiry, as it may consider necessary, direct the alternations, omissions or additions, if any, to be made in the register.
(3) The Chief Executive Officer or any officer authorised by the Board shall carry out the alterations, omissions or additions ordered by the Board in the copy of the register kept by him, within three months from the date of the order.
25. (1) The member-secretary of the Board or any officer authorised in that behalf by the Board or the Government, may inspect all movable or immovable properties belonging to, and all records, correspondence, plans, accounts and other documents relating to the Shrine and it shall be the duty of all officers and officials working under him and any person having concern in the administration thereof to afford all such assistance and facilities, as may be necessary or reasonably required in regard to such inspection and also to produce any such movable property or document for inspection, if so required.
(2) For the purposes of inspection as aforesaid, the inspecting authority shall, subject to the local practice, custom or usage, have power to enter at any reasonable hour the premises of the Shrine.
(3) Nothing in this section shall be deemed to authorize any person to enter the premises or place referred to in sub-section (2) or any part thereof unless such person professes the religion to which the premises or place belongs.
26. Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the registering authority shall not accept for registration any deed or alienation of immovable property belonging to the Shrine unless a certified copy of the order made under section 16 sanctioning such alienation is filed along with the deed.
27. (1) Whenever it comes to the notice of the Board that any immovable property belonging to the Shrine has been alienated in contravention of the Act, it shall refer the matter to the Government.
(2) Upon receipt of a reference made under sub-section (1), the Government shall hold a summary enquiry in such manner, as may be prescribed and on being satisfied that any such property has been so alienated, shall proceed in accordance with law.
28. (1) The provisions contained in the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1972 (24 of 1972), shall be applicable as far as may be, in respect of unauthorised occupation of any land or premises belonging to the Shrine, as if it were the property of Government, within the meaning of that Act.

Annual
verification of register.

Inspection of property and documents.

Restriction on registration of documents.

Recovery of immovable property unlawfully alienated.

Removal of encroachment of land and premises belonging to Shrine.

Power to act for protection of Shrine.
(2) The member-secretary of the Board may make an application for taking up appropriate proceedings under the Act referred to in sub-section (1) to the authority competent thereunder and thereupon it shall be lawful for such authority to take action in accordance with the provisions of that Act.
29. (1) Where the Board has the reason to believe that -
(a) any property belonging to the Shrine is in danger of being wasted, damaged or improperly alienated by any person; or
(b) such person threatens, or intends to remove or dispose of that property,
the member-secretary of that Board may, for the purpose of staying and preventing the wastage, damage, alienation, sale, removal, or disposition of such property, proceed in accordance with law.
Budget of Shrine. 30. (1) The member-secretary of the Board shall, before the end of December each year, submit to such authority, in such form and manner, as may be prescribed, a budget showing the probable receipts and disbursement of the Shrine during the following financial year.
(2) Every such budget shall make adequate provision for-
(a) the scale of expenditure for the time being in force and customary expenditure;
(b) the due discharged of all liabilities binding on the Shrine;
(c) the expenditure on religious, educational and charitable purposes not inconsistent with the objects of the Shrine;
(d) the encouragement and the spread of religious instructions according to the tenets of the Shrine;
(e) the expenditure on the repairs and renovation of the buildings and preservation and protection of the properties and assets of the Shrine.
(3) The Board may, on receipt of the budget make such alterations, omissions or additions therein, as it may deem proper.
(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any custom, usage or practice to the contrary, the provisions made for remuneration of any office holder or for any other item of expenditure in respect of the Shrine may be increased, decreased, or modified by the Board if such increase, decrease of modification is considered necessary in view of the financial condition and the interest of the Shrine.
Accounts.
31. (1) The officer authorised by the Board shall maintain regular accounts of all receipts and disbursements. Such accounts shall be kept for each calendar year separately in such form and shall contain such particulars, as may be prescribed.
(2) The account of the Shrine shall be audited annually by a person who is a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act,

1949 (Central Act 38 of 1949) or by such other person, as may be authorised by the Government in this behalf.
(3) Every auditor conducting the audit under sub-section(2) shall have access to the accounts and to all books, vouchers, other documents and records in possession of or under the control of the officer authorised by the Board.
32. If any Pujari, officer, official or any other person concerned with the Penalty. administration of the Shrine-
(a) refuses or willfully fails to comply with the provisions of this Act or the rules framed thereunder or the orders and directions issued thereunder or obstructs any proceeding taken under this Act or the rules framed thereunder; or
(b) refuses or willfully fails to furnish any reports, statements, accounts or other information called for under this Act,
the Board or any officer authorised by the Board may file a complaint against the Pujari, officer, official or any other person and he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months and with fine which may extend to one thousand rupees.
33. Any person who-
(a) having in possession, custody or control of any property, document or books of accounts belonging to the Shrine, the management and control of which has been regulated under the provisions of this Act or the rules framed thereunder, wrongfully withholds such property or documents or books of accounts from the Board or any other person duly authorised by the Government or the Board to inspect or call for the same;
(b) wrongfully obtains possession of, or retains any property, document or books of accounts of the Boards or willfully withholds or fails to furnish or deliver to the Board or any other person authorised by it in this behalf; or
(c) wrongfully removes, destroys or mutilates property, documents or books of accounts of the Shrine,
shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.
34. (1) No officer or official of the Government shall be liable in any civil or criminal proceeding in respect of any act done or purporting to have been done under this Act or the rule made thereunder, if the act has been done in good faith and in the course of execution of the duties imposed or in discharge of the functions assigned by or under this Act or the rules framed thereunder.
(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of any provisions of this Act or by anything done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Penalty for wrongful withholding of property belonging to Shrine.

Protection of action taken in good faith.

Power to give directions.

Power of Government to review.

Powers to remove difficulties.

Bar of jurisdiction.

Power to make rules.
35. The Government may, from time to time, give such general or specific directions, in writing, to the Board for the effective implementation of the provisions of this Act and while so doing may rescind, alter or modify any order made by the Board and the Board shall follow them in the discharge of its duties.
36. The Government may, either suo motu or on an application moved by any person considering himself aggrieved from any order decision of the Board made under this Act, review such order or decision and make such order thereon, as it thinks fit:

Provided that before any order is made under this section, the Government shall afford any person likely to be affected adversely by such order, an opportunity of being heard.
37. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of three years from the commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it issued, before the State Legislature.
38. Save as expressly provided in this Act, no civil court shall have jurisdiction to entertain or adjudicate upon any dispute or matter which is to be decided by any officer or authority under this Act and in respect of which the decision or order of such officer or authority has been made final and conclusive.
39. (1) The Government may, subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for-
(a) terms and conditions of service of the employees of the Shrine under sections 13 and 19;
(b) constitution of Tribunal under section 19;
(c) the authority to which and the manner in which appeal is to be preferred under section 21 ;
(d) the form and manner in which the registers are to be maintained under section 23;
(e) the scrutiny of the entries in the register under section 24;
(f) the manner in which enquiry is to be conducted under section 27;
(g) the authority to which, the form and manner in which the budget is to be prepared and submitted under section 30;
(h) the form of statements, returns and other forms required to be maintained by or under this Act and the manner in which these are to be maintained;
(i) the returns, accounts or other information to submitted by the officer authorised by the Board;
(j) the preservation, maintenance, management and improvements of the properties and buildings of the Shrine;
(k) the preservation of idol and images in Shrine; and
(l) any other matter which is to be or may be prescribed under this Act.
(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.
40. From the date of commencement of this Act, the provisions of any other law which might be applicable to the Shrine, shall cease to apply thereto:

Provided that such cessation shall not in any way affect-

Certain enactments to cease to apply to Shrine.
(a) any right, title, interest, obligation or liability already acquired, accrued or incurred;
(b) any legal proceedings for any remedy in respect of such right, title, interest, obligation or liability, instituted; or
(c) anything duly done or suffered.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram) Beri, Jhajjar is one of the ancient historical temple which is very sacred to a large number of Hindus who perform all family functions before and after performing pooja of Shree Mata Bhimeshwari Devi. For them, it is a sidh mandir. In order to provide better management, administration and governance of Shree Mata Bhimshwari Devi Mandir (Ashram) Beri, Jhaijar and its endowments including the lands and buildings attached or appurtenant to the Shrine as also to provide better amenities and facilities to the visiting devotees as well as securing the health, safety and convenience of disciples, pilgrims and worshippers, it has been decided to enact The Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine Bill, 2022. Hence, the Bill.

DR. KAMAL GUPTA, Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 21st December, 2022.
R.K. NANDAL,

Secretary.
N.B.- The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 21st December, 2022, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 39 of the proposed Bill empowers the State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of a normal character. Hence, the memorandum regarding delegated Legislation as required under Rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

## हरियाणा विधान सभा

## 2022 का विधेयक संख्या 25 एच०एल०ए०

हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल विधेयक, 2022
श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी तथा पूजास्थल से सम्बद्ध या
आनुषंगिक भूमियों और भवनों सहित उसके विन्यासों के
बेहतर प्रबन्धन, प्रशासन और अभिशासन

## के लिए उपबन्ध करने हेतु <br> विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिए (आश्रम), बेरी पूजास्थल अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

परिभाषाएं।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल बोर्ड;
(ख) "विन्यास" से अभिप्राय है, पूजास्थल से सम्बन्धित या में रख-रखाव, सुधार, परिवर्धन के लिए या पूजार्थ या उससे संबंधित किसी सेवार्थ या धर्मार्थ अनुष्ठान के लिए दी गई या प्रदान की गई समस्त सम्पत्ति, चल या अचल और इसमें शामिल हैं उसमें स्थापित मूर्तियां, पूजास्थल के परिसर और पूजास्थल के अहाते के भीतर किसी भी व्यक्ति को दिया गया सम्पत्ति-दान और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक भूमियां और भवन;
(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
(घ) "मठ" से अभिप्राय है, हिन्दू विधि के अधीन समझा जाने वाला मठ;
(ड.) "सदस्य" से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित बोर्ड का सदस्य और इसमें शामिल है हिन्दू धर्म को मानने वाला सदस्य-सचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव गैर-हिन्दू हैं, तो सरकार उसके स्थान पर हिन्दू धर्म को मानने वाले किसी अन्य सदस्य को नियुक्त कर सकती है;
(च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
(छ) "पुजारी" से अभिप्राय है, पुजारी और इसमें शामिल हैं पण्डित और पुरोहित या ऐसा अन्य व्यक्ति जो पूजा या अन्य कर्मकाण्ड करता है या करवाता है;
(ज) "पूजास्थल" से अभिप्राय है, श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी का पूजास्थल और श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल के परिसरों के भीतर सभी मन्दिर, मठ और मूर्तियां तथा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए धार्मिक उद्देश्य से स्थापित उससे सम्बद्ध विन्यास और इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं,-
म मन्दिर से सम्बध्धित या में पूजा, उसके रख-रखाव या सुधार, परिवर्धन के लिए या उससे सम्बद्ध किसी सेवार्थ या धर्मार्थ अनुष्ठान के लिए दी हुई या प्रदान की गई समस्त सम्पत्तियां, चल या अचल; और
(v) मन्दिर में स्थापित मूर्तियां और सजावट इत्यादि के लिए कपड़े, आभूषण तथा अन्य वस्तुएं;
(झ) "पूजास्थल-निधि" से अभिप्राय है, और इसमें शामिल हैं, पूजास्थल के लाभ के लिए उस द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई या तत्समय धारित सभी धन राशियां, और सभी विन्यास, जो पूजाएथल के लाभ या किसी व्यक्ति के नाम से वहां के किसी अन्य देवी-देवता के लिए, या वहां पर आने वाले यात्रियों की सुविधा, आराम या लाभ के लिए दिये गये हैं या इसके बाद दिये जा सकते हैं, इसमें पूजास्थल में समाविष्ट किसी देवी-देवता को अर्पित समस्त चढ़ावा भी शामिल है;
. ${ }^{4}$ "मन्दिर" से अभिप्राय है, किसी भी पदनाम से ज्ञात कोई रथान, जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा के स्थान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और जो हिन्दू समुदाय या उसके किसी वर्ग को सार्वजनिक धार्मिक पूजा के स्थान के रूप में समर्पित है या उसके हित के लिए, या अधिकार स्वरूप प्रयुक्त किया जाता है।

पूजारथल निधि निहित करना।

बोर्ड का गठन
3. इस अधिनियम के प्रारम्भ से, पूजासथल तथा पूजास्थल निधि का स्वामित्व बोर्ड में निहित होगा और बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इसके कब्जे, प्रशासन और उपयोग का हकदार होगा।
4. (1) पूजास्थल का प्रशासन, प्रबंधन और अभिशासन अंध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ग्यारह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाले बोर्ड में निहित होगा। बोर्ड की संरचना निम्न प्रकार से होगी:-
(क) मुख्य मन्न्री, हरियाणा, अध्यक्ष होगा;
(ख) कार्यभारी मन्त्री, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, उपाध्यक्ष होगी;
(ग) सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चाहे अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में पदाभिंहित पदेन सदस्य होगा;
(घ) उपायुक्त, झज्जर, पदेन सदस्य-सचिव होगा;
(ड.) सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति में, सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सात व्यक्ति:-
(i) ऐसे दो व्यक्ति, जिन्होंने सरकार की राय में, हिन्दू धर्म या संस्कृति की सेवा में प्रतिष्ठा प्राप्त की हो;
(ii) ऐसी दो महिलाएं, जिन्होंने सरकार की राय में, हिन्दू धर्म, संस्कृति या साम्र्रजिक कार्य की सेवा में, विशेषकर महिलाओं की उन्नति के सम्बन्ध में प्रतिष्ठा प्राप्त की हो;
(iii) ऐसे दो व्यक्ति, जिन्होंने सरकार की राय में, प्रशासन, विधिक कार्यकलापों या वित्तीय मामलों में प्रतिष्ठा प्राप्त की हो;
(iv) हरियाणा राज्य का एक प्रतिष्ठित हिन्दू।
(2) कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए, या सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह इस अधिनियम की धारा 8 में यथा विनिर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त है या उपगत करता है।
5. पूजास्थल निधि को निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाया जाएगा,-
(क) मन्दिर के उचित रख-रखाव, पूजा तथा अन्य कर्मकाण्ड करने के लिए व्यय चुकाने में;
(ख) दर्शनार्थ आये श्रद्धालुओं को सुखसाधन, सुविधाएं उपलब्ध करवाने में,
(ग) शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और रख-रखाव करने में;
(घ) विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में; और
(ड.) पूजास्थल में दर्शानार्थ आये अनुयायियों, तीर्थ-यात्रियों और उपासकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने में।
6. बोर्ड एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य बोर्ड का निगमन। मुद्रा होगी और यह उक्त नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।
7. बोर्ड का नामनिर्दिष्ट सदस्य, सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगाः

परन्तु उसकी पदावधि, धारा 4 के अधीन उसके नामनिर्देशन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
8. किसी भी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये निम्नलिखित कारणों से अयोग्य ठहराया जायेगा, यदि वह,--

बोर्ड की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं।

नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि।
पूजास्थल निधियों का चुकाना।

## (क) हिन्दू नहीं है;

(ख) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है या वह बहरा, गूंगा है या संकामक कुष्ठ रोग या किसी विशाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है;
(ग) अनुन्मोचित दिवालिया है;
(घ) बोर्ड के विरूद्ध विधि व्यवसायी के रूप में पेश हो रहा है;
(ड.) किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता वाले किसी अपराध में सजा दी गई है, ऐसी सजा को उलटाया नंहीं गया है;
(च) बोर्ड का पदधारी है या सेवक है;
(छ) पूजास्थल के प्रशासन में भ्रष्टाचार या कदाचार का दोषी पाया गया है;
(ज) नशीली शराब या मादक द्रव्यों का आदी है; और
(झ) उसने सरकार की राय में, पूजास्थल के हितों के विरूद्ध कार्य किया है।

बोर्ड का विघटन और अधिकमण।

रिक्तियों का भरा जाना।

त्याग-पत्र।

बोर्ड का कार्यालय और बैठकें।
9. (1) यदि सरकार की राय में, बोर्ड इस अधिनियम के अधीन उसको सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है, या उसके पालन में लगातार चूक करता है या अपनी शक्तियों का अतिलंघन या गलत प्रयोग करता है, तो सरकार, सम्यक् जांच के बाद और बोर्ड को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, बोर्ड का विघटन या अधिक्रमण कर सकती है और इस अधिनियम के अनुसार दूसरे बोर्ड का पुर्गठन कर सकती है ।
(2) जहां इस धारा के अधीन बोर्ड विघटित या अधिक्रमित किया गया है, तो सरकार सभी शक्तियां धारण करेगी और तीन मास से अनधिक अवधि के लिये या दूसरे बोर्ड के गठन तक, इसमें जो भी पहले हो, बोर्ड़ के सभी कृत्यों को करेगी और बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।
10. (1) किसी सदस्य की आकर्मिक रिक्ति धारा 4 में यथा उपबंधित समरूप रीति, में भरी जाएगी।
(2) आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस दिन समाप्त होगी जिस दिन उस सदस्य, जिसकी रिक्ति में नामनिर्देशन किया गया है, की पदावधि समाप्त होनी थी।
(3) बोर्ड द्वारा की गई कोई भी बात, केवल किसी आकस्मिक रिक्ति के होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।
11. कोई भी नामनिर्दिष्ट सदर्य, सदस्य के रुप में अपने पद से अंध्यक्ष को लिखित नोटिस देते हुए त्याग-पत्र दे सकता है और सरक़ार द्वारा उसके त्याग-पत्र की स्वीकृति की तिथि से उसका पद रिक्त हो जाएगा।
12. (1) बोर्ड ऐसे स्थान पर अपना कार्यालय बनाएगा, जैसा वह विनिश्चित करे।
(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
(3) किसी बैठक में तब तक कोई भी कारबार संव्यवहारित नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों।
(4) बोर्ड का प्रत्येक निर्णय, इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रुप से उपबंधित के सिवाय, बहुमत द्वारा होगा, और मतों की बराबरी की दशा में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।
13. (1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को सौंपे गए कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों, जैसा वह आवश्यक समझे, को ऐसे पदनामों, वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक तथा अनुलाभों सहित, जो बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे, नियुक्त कर सकता है:

परन्तु उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), बेरी तथा सचिव, नगरपालिका समिति, बेरी बोर्ड का क्रमशः मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी अधिकारी होगा।
(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन, बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अनुशासन भंग करने, लापरवाही, अनुपयुक्तता, कर्तव्य उपेक्षा या कदाचार या किसी अन्य पर्याप्त कारण से स्थानान्तरित करने, निलंबित करने, हटाने या पदच्युत करने की शक्ति होगी:

परन्तु जहां अधिकारी या कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है, तो उसे उसके मूल संवर्ग या विभाग में वापस भेजा जा सकता है।
(3) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।
14. बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्यित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।
15. बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, पूजास्थल निधि की हानि, फिजूलखर्ची या दुरुपयोग के लिए दायी होगा, यदि ऐसी हानि, फिजूलखर्ची या दुरुपयोग, सदस्य के रुप में कार्य करते हुए उसके द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के सीधे परिणामस्वरुप है, तो बोर्ड द्वारा प्रतिकर के लिए उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा सकता है।
16. चल तथा अचल दोनों सम्पत्तियों और जेवर, आभूषणों, जो कभी मूर्तियों पर सुशोभित रहे हैं या पूजास्थल निधि का भाग बनने वार्ली किसी अविनश्वर प्रकृति की अन्य बहुमूल्य संपत्ति को बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार की पूर्व स्वीकृति से हस्तांतरित, विनिमय, विक्र्य या निपटान किया जाएगा।
17. बोर्ड के संकल्प और सरकार के अनुमोदन के बिना कोई भी धन उधार लिया या दिया नहीं जाएगा।

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति।

लोक सेवक।

सदस्य का
दायित्व।

चल तथा अचल
संपत्ति का हस्तांतरण।

उधार लेने या देने की शक्ति।
18. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड के कर्तव्य। बोर्ड के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे,-
(i) पूजास्थल में उचित रुप से पूजा करने की व्यवस्था करना;
(ii) तीर्थ-यात्रियों को उचित रुप से पूजा करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना;
(iii) पूजास्थल निधियों, बहुमूल्य प्रतिभूतियों और जेवरों की सुरक्षित अभिरक्षा और परिरक्षण की व्यवस्था करना;

पुजारी के अधिकार तथा विद्यमान कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के निबन्धन तथा शत्तं।
(iv) उपासकों और तीर्थ-यात्रियों के लाभ के लिए निम्नलिखित कार्य करना-
(क) उनके आवास हेतु भवनों का निर्माण;
(ख) स्वास्थ्यकर संकर्मों का निर्माण; तथा
(ग) संचार साधनों में सुधार;
(v) पूजास्थल और उसके इर्द-गिर्द के क्षेत्र से सम्बन्धित विकासात्मक कार्य-कलाप करवाना;
(vi) धार्मिक शिक्षण और सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिये उपंयुक्त व्यवस्था करना;
(vii) उपासकों और तीर्थ-यात्रियों के लिए चिकित्सा राहत की व्यवस्था करना;
(viii) वैतनिक अमले को उपयुक्त परिलाभों के भुगतान के लिए उपबन्ध करना;
(ix) सभी ऐसी बातें करना, जो पूजास्थल तथा पूजास्थल निधि और तीर्थ-यात्रियों की सुविधा के दक्ष प्रबन्धन, रख-रखाव और प्रशासन से आनुषंगिक और उसमें सहायक हों।
19. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से पुजारी के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे:

परन्तु सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले किसी अधिकरण का ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में गठन कर सकती है, जो पुजारी और बोर्ड के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रुप में सुनने के पश्चात् उनके अधिकारों के निर्वापण के बदले में बोर्ड द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रतिकर की सिफारिशें करेगा। अधिकरण, बोर्ड को अपनी सिफारिशें करते समय, ऐसी आय, जो पुजारी प्राप्त करता था, का सम्यक् ध्यान रखेगाः

परन्तु यह और कि जहां कोई पुजारी प्रतिकर का अपना अधिकार छोड़ देता है और बोर्ड में स्वयं को नियोजन के लिये पेश करता है, तो बोर्ड ऐसे नियोजन के लिये उसकी उपयुक्तता का निर्णय करेगा और यदि वह इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की जाने वाली चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे ऐसे नियोजन की पेशकश कर सकता है परन्तु यह पुजारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड के प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अनुपालन का जिम्मा लेने के अध्यधीन होगा।
(2) पूजास्थल के सभी ऐसे कर्मचारी, जो पूजास्थल से सम्बद्ध किसी कार्य पर लगाये जाते हैं जब तक वे इसके प्रतिकूल किसी विकल्प का प्रयोग नहीं करते, इस अधिनियम के प्रारम्भ से बोर्ड के कर्मचारी बन गये समझे जाएंगे और बोर्ड के प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन होंगे। उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित की जाएंगी तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जो यथासाध्य उनकी सेवा के पारिश्रमिक तथा अन्य निबंधन और शर्तों के वर्तमान स्तर से कम नहीं होंगी।
(3) दुकानदार तथा अन्य पट्टा धारक, जो इस अधिनियम में निर्दिष्ट क्षेत्र में पूजास्थल के किराएदार हैं, बोर्ड के किराएदार बन जाएंगे।
20. (1) बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, पूजारथल के पुजारी की नियुक्ति करेगा और ऐसी नियुक्ति करने में, धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के दावों का सम्यक् ध्यान रखेगा जिनके लाभ के लिये पूजास्थल का मुख्य रुप से रख-रखाव किया जाता है।
(2) पुजारी, जब तक बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हटा नहीं दिया जाता या पदच्युत नहीं करं दिया जाता या उसका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता या अन्यथा वह पुजारी नहीं बना रहता, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
(3) पुजारी पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
(4) जब पूजास्थल के पुजारी के कार्यालय में कोई स्थाई रिक्ति हो जाती है, तो पुजारी बोर्ड द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
(5) जब ऐसे किसी कार्यालय में किसी पुजारी के निलंबन के कारण कोई अस्थाई रिक्ति हो जाती है, तो बोर्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुजारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये, उसके स्थान पर, उसकी निर्योग्यता समाप्त होने तक किसी अन्य पुजारी की नियुक्ति की जायेगी।
21. (1) बोर्ड या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पुजारी को निम्नलिखित आधारों पर निलंबित, हटा या पदच्युत कर सकता है,-
(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश की जानबूझकर की गई अवज्ञा;
(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में पूजास्थल या किसी संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किसी अपकरण, दुष्करण, विश्वास भंग या कर्तव्य की उपेक्षा;
(ग) पूजास्थल की संपत्तियों के किसी दुविर्नियोग, या अनुचित संव्यवहार;
(घ) पूजास्थल में नशीली शराब या मादक द्रव्यों के नशे में पाए जाने; तथा
(ड.) चित्त-विकृति या अन्य मानसिक या शारीरिक त्रुटि या अशक्तता, जो उसे पुजारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अयोग्य बनाती है:
परन्तु किसी भी पुजारी को इस धारा के अधीन बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तब तक हटाया या पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
(2) कोई पुजारी, जिसे उपधारा (1) के अधीन बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निलंबित, हटाया या पदच्युत किया गया है, निलंबित, हटाए या पदच्युत किये जाने के आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक मास के भीतर, ऐसे प्राधिकरण को तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील दायर कर सकता है।

पुजारी की
नियुक्ति, कार्यकाल और अन्य निबंधन तथा शतें।

निलंबित करने, हटाने या पदच्युत करने की शक्ति।
(3) इस प्रकार निलंबित, हटाये गये या पदच्युत किए गए किसी पुजारी को ऐसा भरण-पोषण अनुज्ञात किया जायेगा, जो पूजास्थल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियत किया जाए।

पुजारी की अयोग्यताएं।

रजिस्टर को तैयार करना और रख-रखाव करना।
22. कोई भी व्यक्ति पुजारी के रुप में नियुक्त किये जाने और बने रहने के लिये अयोग्य होगा,-
(क) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;
(ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हैं;
(ग) यदि वह पूजारथल के किसी अस्तित्वयुक्त पट्टे या किसी संपत्ति में, या उससे की गई संविदा या किए जा रहे किसी कार्य में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हित रखता है या पूजास्थल को भुगतानयोग्य किन्हीं बकायों में देनदार है;
(घ) यदि वह पूजास्थल की ओर से या उसके विरुद्ध विधिक व्यवसायी के रुप में पेश हो रहा है;
(ड.) यदि उसे दांडिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता वाले किसी अपराध में सजा दी गई है और ऐसी सजा को उलटाया नहीं गया है,
(च) यदि उसने पूजारथल के हित के प्रतिकूल कार्य किया है;
(छ) यदि वह नशीली शराब और मादक द्रब्यों का आदी है;
(ज) यदि उसने आयु के इक्कीस वर्ष पूरे नहीं किए हैं; तथा
(झ) यदि वह हिन्दु धर्म या उस मान्यता को छोड़ देता है या उस धार्मिक संप्रदाय से संबंध तोड़ लेता है, जिससे पूजास्थल संबंध रखता है।
23. (1) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाएं, में निम्नलिखित को दर्शाने वाला रजिस्टर तैयार किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा,-
(क) पूजार्थल के उद्गम तथा इतिहास तथा पूजास्थल के रीति-रिवाज या प्रथा के संबंध में ब्यौरे;
(ख) प्रशासन की योजना तथा खर्च के मापमान के ब्यौरे;
(ग) सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम, जिनसे कोई वेतन, परिलाभ या अनुलाभ संबद्ध है तथा प्रत्येक मामले में सेवा का स्वरुप, अवधि तथा शर्तें;
(घ) पूजास्थल से संबंधित धन, जेवर, रत्न, सोना, चांदी, कीमती नगीनें, पात्र तथा बर्तन तथा अन्य चल संपत्ति, उनका भार, संघटक तत्वों के विवरण तथा उनके अनुमानित मूल्य सहित;
(ड.) पूजास्थल की अचल संपत्तियों तथा सभी अन्य विन्यासों के ब्यौरे तथा सभी हक विलेख तथा अन्य दस्तावेज;
(च) पूजारथल में या उससे संबद्ध मूर्तियों तथा अन्य प्रतिमाओं के संघटक तत्वों तथा रंगीन चित्रों के विवरणों के ब्यौरे, चाहे वे पूजा के लिये या शोभा यात्रााओं में ले जाने के लिये आशयित हों;
(छ) प्राचीन या ऐतिहासिक अभिलेखों के साथ उनकी संक्षिप्त विषय-वस्तु सहित ब्यौरे; तथा
(ज) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो बोर्ड द्वारा अपेक्षित किए जाएं।
(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस निमित्त उसे सदस्य-सचिव द्वारा नोटिस तामील किये जाने की तिथि से तीन मास के भीतर अथवा ऐसी और अवधि, जो सदस्य-सचिव द्वारा अनुज्ञात की जाए, के भीतर रजिस्टर तैयार, हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जाएगा।
(3) बोर्ड ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को रजिस्टर में ऐसे परिवर्तन, लोप या परिवर्धन करने के लिए सिफारिश कर सकता है और निदेश दे सकता है, जो बोर्ड उचित समझे।
(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकत कोई अधिकारी, बोर्ड के निदेशों को कार्यान्वित करेगा और आदेश की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर अनुमोदन के लिये रजिस्टर बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
24. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रति वर्ष या ऐसे अंतरालों पर, जो विहित किए जाएं, रजिस्टर की प्रविष्टियों की संवीक्षा करेगा तथा उसे बोर्ड को उसके अनुमोदन के लिये सदस्य-सचिव के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
(2) बोर्ड उस पर, ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् रजिस्टर में परिवर्तन, लोप या परिवर्धन, यदि कोई हो, करने का निदेश दे सकता है।
(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोईई अधिकारी, आदेश की तिथि से तीन मास के भीतर बोर्ड द्वारा किये गये आदेश के अनुसार उस द्वारा रखी गई रजिस्टर की प्रति में परिवर्तन, लोप अथवा परिवर्धन करेगा।
25. (1) बोर्ड का सदस्य-सचिव या बोर्ड अथवा सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पूजास्थल से संबंधित सभी चल या अचल संपत्तियों तथा सभी अभिलेखों, पत्र-व्यवहार, योजनाओं, लेखों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उसके अधीन कार्य करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उसके प्रशासन से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि सभी ऐसी सहायता तथा सुविधाएं प्रदान करे, जो ऐसे निरीक्षण के संबंध में आवश्यक या समुचित रुप से अपेक्षित हों तथा यदि इस प्रकार अपेक्षित हो, तो निरीक्षण के लिए कोई ऐसी चल संपत्ति या दस्तावेज भी प्रस्तुत करें।
(2) यथा पूर्वोक्त निरीक्षण के प्रयोजनों के लिये, निरीक्षण प्राधिकारी को स्थानीय परिपाटी, रिवाज या प्रथा के अध्यधीन पूजास्थल के परिसरों में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करने की शक्ति होगी।
(3) इस धारा की किसी बात से किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिसरों या स्थान या उसके किसी भाग में प्रवेश करने के लिये तब तक प्राधिकृत नहीं समझा जाएगा, जब तक ऐसा व्यक्ति उस धर्म को नहीं मानता है, जिससे परिसर या स्थान संबंधित है।

रजिस्टर का वार्षिक सत्यापन।

संपत्ति तथा दस्तावेजों का निरीक्षण।

दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण पर प्रतिबंध।

विधिविरूद्ध तरीके से हस्तांतरित अचल संपत्ति की वसूली।

पूजारथल से संबंधित भूमि तथा परिसरों के अतिक्रमण को हटाना।

पूजास्थल के सरंक्षण के लिये कार्यवाही करने की शक्ति।

पूजास्थल का बजट।
26. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी पूजास्थल से संबंधित अचल संपत्ति का कोई विलेख या हस्तांतरण तब तक रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार नहीं करेगा, जब तक विलेख के साथ धारा 16 के अधीन ऐसे हस्तांतरण को स्वीकृति देने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति साथ न लगाई जाए।
27. (1) जब कभी बोर्ड के ध्यान में यह आता है कि पूजास्थल से संबंधित कोई अचल सम्पत्ति इस अधिनियम के उपबधों के उल्लंघन में हस्तांतरित की गई है, तो यह मामला सरकार को निर्दिष्ट करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये संदर्भ की प्राप्ति पर, सरकार ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संक्षिप्त जांच करेगी और संतुष्ट हो जाने पर कि कोई ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार हस्तांतरित की गई है, तो विधि के अनुसार कार्यवाही करेगी।
28. (1) हरियाणा लोक परिसर तथा भूमि (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम, 1972 (1972 का 24) में दिए गए उपबंध, जहां तक हो सके, पूजास्थल से संबंधित किसी भूमि या परिसरों के अप्राधिकृत अधिभोग के संबंध में लागू होंगे, मानो यह उस अधिनियम के अर्थ के भीतर सरकार की संपत्ति थी।
(2) बोर्ड का सदस्य-सचिव, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन समुचित कार्यवाहियां करने के लिये, उसके अधीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और उस पर उस अधिनियम के उपबधों के अनुसार कार्रवाई करना ऐसे प्राधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।
29. (1) जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण हैं कि,-
(क) पूजास्थल से संबंधित किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा बेकार किये जाने, क्षति पहुंचाये जाने या अनुचित रुप से हस्तांतरित किये जाने का खतरा है; या
(ख) ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति को हटाने या उसके निपटान की धमकी देता है, या ऐसा करना चाहता है,
तो बोर्ड का सदस्य-सचिव, ऐसी संपत्ति को बेकार करने, क्षति पहुंचाने, हस्तांतरित करने, बेचने, हटाने या निपटान को रोकने और निवारित करने के प्रयोजन के लिये विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।
30. (1) बोर्ड का सदस्य--सचिव, प्रति वर्ष दिसम्बर की समाप्ति से पूर्व, ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररुप तथा रीति, जो विहित की जाये, में पूजास्थल के आगामी वित्त वर्ष के दौरान संभावित प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाते हुए बजट प्रस्तुत करेगा।
(2) प्रत्येक ऐसे बजट में निम्नलिखित के लिये पर्याप्त उपबंध होंगे,-
(क) उस समय लागू खर्च तथा रुढ़िगत खर्च के मापमान;
(ख) पूजास्थल पर बाध्यकारी सभी दायित्वों के सम्यक् निर्वहन;
(ग) धार्मिक, शैक्षणिक तथा धर्मार्थ प्रयोजनों पर खर्च, जो पूजास्थल के उद्देश्यों से असंगत न हो;
(घ) पूजास्थल के सिद्वांतों के अनुसार धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा उसके प्रसार;
(ड.) पूजास्थल के भवनों की मरम्मत तथा उनके नवीकरण तथा उसकी संपत्तियों और परिसंपत्तियों के परिरक्षण तथा संरक्षण पर खर्च।
(3) बोर्ड, बजट की प्राप्ति पर, उसमें ऐसे परिवर्तन, विलोपन अथवा परिवर्धन, जो वह उचित समझे, कर सकता है।
(4) उस समय लागू किसी अन्य विधि अथवा किसी रिवाज, प्रथा अथवा परिपाटी में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी पदधारी के पारिश्रमिक अथवा पूजास्थल के संबंध में किसी अन्य मद के खर्च के लिये किये गये उपबन्ध, बोर्ड द्वारा बढ़ाए, घटाये अथवा उपांतरित किये जा सकते हैं, यदि पूजास्थल की वित्तीय स्थिति तथा हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी वृद्धि, घटाव अथवा उपांतरण करना आवश्यक समझा जाता है।
31. (1) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों के नियमित लेखे। लेखों को अनुरक्षित रखेगा। ऐसे लेखे प्रत्येक कलैंडर वर्ष के लिए ऐसे प्ररुप में पृथक् रुप से रखे जाएंगे तथा उनमें ऐसे ब्यौरे समाविष्ट होंगे, जो विहित किये जाएं।
(2) पूजास्थल के लेखों की प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा संपरीक्षा की जाएगी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 38) के अर्थ के भीतर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए।
(3) उपधारा (2) के अधीन लेखापरीक्षा करने वाले प्रत्येक लेखापरीक्षक की बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में अथवा नियंत्रणाधीन लेखों तथा सभी बहियों, वाउचरों, अन्य दस्तावेजों तथा अभिलेखों तक पहुंच होगी।
32. यदि पूजास्थल के प्रशासन से सम्बन्धित कोई पुजारी, अधिकारी, कर्मचारी शास्ति। अथवा कोई अन्य व्यक्ति,-
(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उसके अधीन जारी किए गए आदेशों तथा निदेशों के उपबंधों की अनुपालना करने से इनकार करता है अथवा जानबूझकर उनका अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई किसी कार्यवाही में बाधा डालता है; या
(ख) इस अधिनियम के अधीन मांगी गई किन्हीं रिपोर्टों, विवरणों, लेखों या अन्य जानकारी देने से इनकार करता है अथवा जानबूझकर देने में असफल रहता है,
तो बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, पुजारी, अधिकारी, कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत कर सकता है तथा वह कारावास की ऐसी अवधि, जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है तथा ऐसे. जुर्माने, जो एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

पूजास्थल से संबंधित संपत्ति के सदोष विधारण के लिए शास्ति।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

निदेश देने की शक्ति।

सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति।
33. कोई भी व्यक्ति जो,-
(क) पूजास्थल से संबंधित किसी ऐसी संपत्ति, दस्तावेज अथवा लेखा बहियों का कब्जा, अभिरक्षा अथवा नियंत्रण रखते हुए, जिसका प्रबन्धन तथा नियंत्रण इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन विनियमित किया गया है, बोर्ड अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जिसे सरकार अथवा बोर्ड द्वारा उसका निरीक्षण करने या उसकी मांग करने के लिए सम्यक् रुप से प्राधिकृत किया गया है, से ऐसी संपत्ति अथवा दस्तावेज अथवा लेखा बहियों का सदोष विधारण करता है; या
(ख) बोर्ड की किसी संपत्ति, दस्तावेजों अथवा लेखा बहियों का सदोष कब्जा लेता है, अथवा उन्हें रखता है अथवा उन्हें बोर्ड अथवा इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से जानबूझकर विधारित करता है अथवा प्रस्तुत करने अथवा देने में असफल रहता है; या
(ग) पूजास्थल की किसी संपत्ति, दस्तावेज अथवा लेखा बहियों को गलत ढंग से हटाता है, नष्ट करता है, या बिगाड़ता है,
तो कारावास की ऐसी अवधि, जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
34. (1) सरकार का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किए गए अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में किसी सिविल अथवा दांडिक कार्यवाहियों के लिए दायी नहीं होगा, यदि कार्य सद्भावपूर्वक और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या के अधीन अधिरोपित कर्तव्यों के निष्पादन अथवा सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के अनुकम में किया गया है।
(2) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के फलस्वरुप अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या सभ्भावित किसी नुकसान अथवा सहन की गई या सम्भावित किसी क्षति के लिए सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।
35. सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड को लिखित में ऐसे सामान्य अथवा विशिष्ट निदेश दे सकती है और ऐसा करते हुए, बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश को विखंडित, परिवर्तित अथवा उपांतरित कर सकती है और बोर्ड अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनका अनुसरण करेगा।
36. सरकार, स्वप्रेरणा से अथवा इस अधिनियम के अधीन किए गए बोर्ड के किसी आदेश या निर्णय से स्वयं को व्यथित समझने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसे आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकती है तथा उस पर ऐसा आदेश कर सकती है जो वह ठीक समझे:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, सरकार, ऐसे व्यक्ति, जिसकी ऐसे आदेश से प्रतिकूल रुप से प्रभावित होने की संभावना है, को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।
37. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनुअसंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।
(2) इस धारां के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके जारी करने के बाद, यथाशीघ, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।
38. इस अधिनियम में स्पष्ट रुप से उपबंधित के सिवाय, किसी भी सिविल न्यायालय को किसी विवाद या मामला, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्णीत किया जाना है और जिसके संबंध में ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकरण का निर्णय अथवा आदेश अंतिम तथा निश्चायक हो गया है, को ग्रहण करने या न्याय-निर्णयन की कोई भी अधिकारिता नहीं होगी ।
39. (1) सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है।
(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकती है,-
(क) धारा 13 और 19 के अधीन पूज़ास्थल के कर्मचारियों की सेवा के निर्बन्धन तथा शर्तें;
(ख) धारा 19 के अधीन अधिकरण का गठन;
(ग) प्राधिकरण, जिसे तथा रीति, जिसमें धारा 21 के अधीन अपील की जानी है;
(घ) प्ररुप तथा रीति, जिसमें धारा 23 के अधीन रजिस्टर रखे जाने हैं;
(ड.) धारा 24 के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टियों की संवीक्षा;
(च) रीति, जिसमें धारा 27 के अधीन जांच की जानी है;
(छ) प्ररुप तथा रीति, जिसमें धारा 30 के अधीन बजट तैयार किया जाना तथा प्राधिकारी जिसको प्रस्तुत किया जाना है;
(ज) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित विवरणों, विवरणियों के प्ररुप तथा अन्य प्ररुप तथा रीति, जिसमें ये रखे जाने हैं;
(झ) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां, लेखे या अन्य सूचना;
(ण) पूजास्थल की संपत्तियों और भवनों का परिरक्षण, रख-रखाव, प्रबन्धन तथा सुधार;
(ट) पूजास्थल में मूर्तियों तथा प्रतिमाओं का परिरक्षण; और
(ठ) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।
(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

पूजास्थल को कतिपय अधिनियमितियों का लागू नहीं होना।
40. इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से, किन्हीं अन्य विधियों के उपबंध, जो पूजास्थल को लागू होते हैं, उसे लागू नहीं रहेंगे:

परन्तु ऐसी समाप्ति किसी भी प्रकार से निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी,-
(क) पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व;
(ख) ऐसे अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी उपचार के लिए संरिथत की गई कोई विधिक कार्यवाही; या
(ग) सम्यक् रुप से की गई या सहन की गई कोई बात।

## उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण

श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम) बेरी, झज्जर एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जो कि हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या के लिए अत्यन्त पूज्यनीय है जो श्री माता भीमेश्वरी देवी की पूजा करने से पूर्व तथा बाद में सभी पारिवारिक समारोह (कार्यक्रम) करते हैं। उनके लिए यह एक सिद्ध मंदिर है। श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम) बेरी, झज्जर तथा तीर्थ-मंदिर से संलग्न या आनुशंगिक भूमियों तथा भवनों सहित उसके दान का बेहतर प्रबन्धन करने, प्रशासन तथा शासन उपलब्ध कराने तथा दर्शन करने वाले भक्तों को बेहतर सुख-सुविधा एवं सहुलियतें एवं शिष्यों, तीर्थ यात्रियों व उपासकों का स्वास्थ्य सुरक्षित करने, सुरक्षा एवं सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम) बेरी, झज्जर पूजा स्थल विधेयक, 2022 अधिनियमित करने का निर्णय किया गया है। अत विधेयक।

डॉ कमल गुप्ता
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 21 दिसम्बर, 2022.

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

## प्रत्यायुक्त विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 39 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन एक सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन संलग्न है।

